

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 79/2020 अपील

1. जगरूप पुत्र देबी गुर्जर बनाम 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,
निवासी- सालमपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
-अपीलार्थी -रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर बप्रकरण संख्या 56/2020

अन्तर्गत धारा-91 एल. आर. एक्ट निर्णय दिनांकित 10/09/2020

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित –

1. श्री रणवीर सिंह एवं उदयसिंह चारण अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 16.11.2022

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

विरुद्ध तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण संख्या 56/2020 निर्णय दिनांक 10.09.2020 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का भगुनगर तहसील जहाजपुर द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सरहद रूपपुरा की बिलानाम आराजी नम्बर 229/22 रकबा 05 बीघा भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर संवत 2077 फसल खरीफ के दौरान मक्की की फसल काशत कर अतिक्रमण किया गया कि रिपोर्ट पेश की गयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलार्थी को बिना सुनवायी का अवसर दिये ही प्रथम पेशी पर ही निर्णय पारित फरमाते हुए अपीलार्थी को भूमि से बेदखल करने व फसल जब्त कर नीलाम किए जाने व शास्ति लगान 2.50 का 50 गुणा 125/- रूपये अधिरोपित कर वसूल करने का आदेश पारित फरमा दिया गया जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य हैं। उक्त आराजी पर अपीलार्थी का वर्षों से नाजायज कब्जा चला आ रहा है एवं लगातार 35-40 वर्षों से उक्त आराजियात पर काबिज होकर फसल काशत की जा रही है एवं लगातार नियमित रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करते



अति जिला कलक्टर


में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त आराजी पर अपीलांट का वर्षों से नाजायज कब्जा चला आ रहा है एवं लगातार 35-40 वर्षों से उक्त आराजियात पर काबिज होकर फसल काश्त की जा रही है एवं लगातार नियमित रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करते हुए पेनल्टी जमा करायी जाती रही है एवं पटवार हल्का द्वारा तैयार किये जाने वाले खसरा परिवर्तनशील एवं खसरा जिंसवारी में लगातार नाजायज कब्जा दर्ज रेकार्ड चला आ रहा है, जिस कारण से भी अपीलांट उक्त आराजियात का नियमन कराने की पात्रता रखता है। राज्य सरकार के समय समय-पर निर्देशानुसार भूमि काबिल नियमन के है। दिनांक 10/09/2020 को अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को उक्त तथ्यों से अगवत कराते हुए अपीलार्थी जो कि भूमिहीन काश्तकार होने व उक्त भूमि अपीलार्थी व उसके परिवार की आजीविका का एकमात्र जरिया होने से अपीलार्थी के नाम नियमन करने हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया व पूर्ण सुनवायी का अवसर दिये बिना ही उक्त आदेश पारित करने मे भारी भूल फरमायी है। निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाया जाने व उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम पर नियमन किये जाने का आदेश प्रदान करावें।



राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी आदतन अतिक्रमी होने से ग्राम रूपपुरा की आराजी नं. 229/22 रकबा 5.00 बीघा किस्म गे.मु. भटवेड में अतिक्रमण कर फसल काश्त की हैं। बार बार अतिक्रमिक भूमि से भौतिक रूप से मौके से बेदखल करने के बावजूद पुनः अतिक्रमण करने से उक्त अपचारी अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी घोषित कर अतिक्रमित भूमि से अपीलार्थी को बेदखल करने एवं फसल जब्त कर शास्ति लगान अधिरोपित कर वसूल करने का जो निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया वह सही हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त यह गया पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा आदतन अतिक्रमण किये जाने से ग्राम रूपपुरा की


अति. जिला कलक्टर
मालवा

आराजी नं. 229/22 रकबा 5.00 बीघा किस्म गे.मु. भटवेड में अतिक्रमण कर फसल काश्त करने से एवं बार बार अतिक्रमिक भूमि से भौतिक रूप से मौके से बेदखल करने के बावजूद पुनः अतिक्रमण करने से उक्त अपचारी अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी घोषित कर अतिक्रमित भूमि से अपीलार्थी को बेदखल करने एवं फसल जब्त कर शास्ति लगान अधिरोपित कर वसूल करने का जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया उसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं।

स्वयं अपीलार्थी ने अपनी अपील में एवं प्रस्तुत दस्तावेजात व बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी को उक्त प्रश्नगत आराजी पर विगत करीब 35-40 वर्षों से नाजायज कब्जा चला आ रहा है। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रश्नगत आराजी पर बार बार अतिक्रमण कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर रखा है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण से अतिक्रमी को बेदखल करने का जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह विधिसम्मत प्रतीत होता है।

यदि अपीलार्थी का उक्त प्रश्नगत आराजी पर निरन्तर कब्जा था, तो अपीलार्थी को उसे नियमन कराने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।


उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव—

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 56/2020 निर्णय दिनांक 10.09.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदारिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भिलवाड़ा